सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2021-2022)

सत्रहवीं लोक सभा

61

इकसठवाँ प्रतिवेदन

[चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड(सिटको) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे समिति द्वारा अपने तैंतीसवे प्रतिवेदन (17 वी लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सर्कार के द्वारा की गयी कार्यवाई को दर्शाने वाला विवरण]

(15.12.2021 को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, 2021 / अग्रहायण ,1943 (शक)

विषय सूची **पृष्ठ**

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की संरचना	**(iii)**
प्राक्कथन	**(v)**
<u>प्रतिवेदन</u>	
चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (सिटको) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे समिति द्वारा अपने तैंतीसवे प्रतिवेदन (17 वी लोक सभा) में की गई सिफारिशों /टिप्पणियों पर सर्कार के द्वारा की गयी कार्यवाई को दर्शाने वाला विवरण	01
<u>परिशिष्ट</u>	
समिति द्वारा अपने तैंतीसवे प्रतिवेदन (17 वी लोक सभा) में की गई सिफारिशों /टिप्पणियों पर सर्कार के द्वारा की गयी कार्यवाई को दर्शाने वाला विवरण	02
<u>अनुबंध</u>	
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की 06.12.2021 को हुई **दूसरी** बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण	09

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का गठन

(2021-2022)

सभापति

श्री रितेश पांडेय

सदस्य

2. डॉ शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री मारगनी भरत
4. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
5. श्री पल्लव लोचन दास
6. श्री चौधरी मोहन जटुआ
7. अली केसर महबूब चौधरी
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	श्रीमती बी. विसाला	-	निदेशक
3.	श्री मुनीष कुमार रेवाड़ी	-	अपर निदेशक
4.	श्रीमती मनजिंदर पब्बी	-	अवर सचिव
5.	श्रीमती रजनी भगत	-	समिति अधिकारी
6.	श्री दर्पण शर्मा	-	सहायक समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर समिति का यह **इकसठवाँ** प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं जो समिति की अपने **तैंतीसवे** प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में है ।

2. समिति ने 06.12.2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकारकिया।

3. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों / सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली
09 दिसंबर, 2021
18 अग्रहायण, 1943 (शक)

रितेश पांडेय
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

प्रतिवेदन

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का यह प्रतिवेदन समिति द्वारा अपने तैंतीसवें प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा) में की-गई सिफारिशों /टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित है जिसमें चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (सिटको) के वर्ष 1990-91 से 2016-2017 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले पर विचार किया गया था और जिसे 11.02.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

2. समिति ने अपने तैंतीसवें प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा) में 04 सिफारिशें /टिप्पणियां की थीं, और उनमें से सभी सिफारिशों / टिप्पणियों के संबंध में सरकार से की-गई-कार्रवाई उत्तर प्राप्त हो गए थे। तदनुसार, तैंतीसवें प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों /टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

3. **समिति निराशा के साथ नोट करती है कि गृह मंत्रालय ने सिटको के वर्ष 2018-19 के आवश्यक दस्तावेजों को 19 माह से अधिक विलंब के साथ 03.08.2021 को संसद के समक्ष रखा है। इसके अलावा, सिटको के वर्ष 2019-2020 के आवश्यक दस्तावेजों को आज तक संसद के समक्ष नहीं रखा गया है। समिति का यह मत है कि इन विलंबों को दूर करने के लिए मंत्रालय/सिटको द्वारा और समन्वित प्रयास किए जाएं क्योंकि अब तक किए गए प्रयासों के वांछित परिणाम नहीं प्राप्त हुए हैं। इसलिए, समिति पुनः एक बार मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि सिटको के लंबित अपेक्षित दस्तावेजों को और विलंब के बिना सभा पटल पर रख दिए जाएं और यह भी सिफारिश करती है कि भविष्य में सिटको के अपेक्षित दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जाए।**

4. मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की-गई-कार्रवाई उत्तरों से समिति प्रत्येक चरण के लिए लक्षित तिथियों को इंगित करते हुए मंत्रालय द्वारा तैयार की गई समेकित समय-सूची को नोट करती है। समिति आशा करती है कि इस समय-सूची का न केवल सख्ती से पालन किया जाएगा, बल्कि इससे भविष्य में इस प्रकार के विलंब से बचने में सिटको को मदद भी मिलेगी।

समिति को इस संबंध में मंत्रालय/सिटको द्वारा की-गई-आगे की कार्रवाइयों से भी अवगत कराया जाए।

नई दिल्ली
06 दिसंबर, 2021
15 अग्रहायण, 1943 (शक)

रितेश पांडेय
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

परिशिष्ट

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 02)

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोक सभा), सत्रहवीं लोक सभा के तैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (सिटको)

सिफारिश संख्या 16

समिति नोट करती है कि चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (सीआईटीसीओ) के वर्ष 1990-91 से 2016-17 तक के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को 01 वर्ष और 07 माह से 27 वर्ष और 07 माह के विलंब के साथ 23.07.2019 को एक साथ सभा पटल पर रखा गया था। समिति असाधारण विलंब और सिटको (सीआईटीसीओ) के आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए असाधारण विलंब के संबंध में, समिति के समक्ष रखे गए कारणों से हैरान है। समिति को बताया गया था कि `गलत धारणा` के तहत सिटको (सीआईटीसीओ), 18 वर्ष तक अर्थात वर्ष 1990-91 से वर्ष 2007-08 तक वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को पर्यटन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करता रहा था, लेकिन पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 में सिटको (सीआईटीसीओ) के आवश्यक दस्तावेजों को संसद के समक्ष सभा पटल पर रखने की अपनी भूमिका को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। तथापि, समिति ने किए गए निवेदन और गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत विलंब विवरण से यह नोट किया कि वित्त मंत्रालय के निदेशानुसार , सिटको (सीआईटीसीओ) के वार्षिक लेखाओं को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने की जिम्मेदारी उस मंत्रालय की है, जिसका अनुदानों/शेयर पूंजी में अधिक निवेश है, और वर्ष 1990 से सिटको की शेयर पूंजी में पर्यटन मंत्रालय का निवेश बढ़ा है, इसलिए , उक्त मंत्रालय की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह संसद के समक्ष सिटको (सीआईटीसीओ) के आवश्यक दस्तावेज संसद के समक्ष रखे। तथापि, पर्यटन मंत्रालय ऐसा करने से इनकार करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा। समिति का सुविचारित मत है कि यह `गलत धारणा` का मामला नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से पर्यटन मंत्रालय के स्तर पर अनदेखी का मामला है। समिति चाहती है कि उसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा इन दस्तावेजों को संसद के समक्ष रखने की जिम्मेदारी न लेने के निश्चित कारणों से अवगत कराया जाए और इसलिए , समिति , गृह मंत्रालय को निदेश देती है कि वह अपने पत्र-व्यवहार में पर्यटन मंत्रालय द्वारा बताए गए कारणों और उक्त मामले में पर्यटन मंत्रालय के साथ हुई बैठकों का ब्यौरा उपलब्ध कराए।

समिति यह भी नोट करती है कि सिटको (सीआईटीसीओ) का गठन वर्ष 1974 में हुआ था और मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार , वर्ष 1990-91 से पूर्व सिटको (सीआईटीसीओ) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को गृह विभाग , चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने

हेतु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था। समिति यह भी जानना चाहती है कि जब उद्योग मंत्रालय सिटको (सीआईटीसीओ) के आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के लिए जिम्मेदार था, तो क्या आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर संसद के समक्ष रखे गए थे और उसका ब्यौरा समिति को उपलब्ध करवाया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

गृह मंत्रालय ने दिनांक 07.12.2010 के अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय से अनुरोध किया कि वे सिटको, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-07 और 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सभी संबंधितों को इसे स्वीकार करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 11.02.2011 के अपने अर्ध सरकारी पत्र संख्या 1(39)/2010-एचआरडी द्वारा सूचित किया है कि इस मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श किया गया और उनकी राय है कि निम्नलिखित कारणों से इन दस्तावेजों को संसद के पटल पर रखना उसके कार्यात्मक अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात होगी:-

* कार्य आवंटन नियमावली, 1961 के अनुसार, पर्यटन मंत्रालय केवल एक कंपनी अर्थात् आईटीडीसी के लिए उत्तरदायी है ।

* पर्यटन मंत्रालय का सिटको पर किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। सिटको के बोर्ड में मंत्रालय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसा होने के कारण, पर्यटन मंत्रालय से उन मामलों में कार्रवाई करने की अपेक्षा रखना वैसा ही होगा जैसे कि ऐसे मामले में कार्रवाई करना जिसके लिए न तो इसकी पृष्ठभूमि और न ही अनुपालन की ज़िम्मेदारी है।

* मंत्रालय न तो सिटको को कोई स्थापना संबंधी अनुदान देता है और न ही इसके वित्तीय मामले पर किसी प्रकार का नियंत्रण रखता है।

* पर्यटन मंत्रालय ने विगत समय में सिटको, चंडीगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर नहीं रखा है। संयोगवश, कंपनी के संबंध में वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली द्वारा संसद में रखा गया था।

पर्यटन मंत्रालय के दिनांक 11.02.2011 के अर्ध सरकारी पत्र की एक प्रति संलगन है#।

गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन से यह अनुरोध किया है कि वह यह स्पष्ट करे कि क्या वर्ष 1990-1991 से पहले सिटको के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को उद्योग मंत्रालय, जो कि उस समय सिटको के आवश्यक दस्तावेजों को सदन में रखने के लिए जिम्मेदार था, द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर

संसद के समक्ष रखा गया था, और इस सबंध में गृह मंत्रालय को विवरण प्रस्तुत करे ताकि उसे समिति के समक्ष आगे प्रस्तुत किया जा सके।

चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने विभाग में उपलब्ध दस्तावेज दिनांक 29.04.2021 के पत्र संख्या 4/5/3/(भाग दो)(आईएंडटी)-एच तीन(6)/2021/6443 द्वारा प्रस्तुत किए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रदत्त दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 11.12.1981, 22.12.1981, 01.03.1983, 14.03.1984, 24.02.1987, 21.03.1989 और 10.04.1990 के पत्र के माध्यम से वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1985-86, 1987-88, 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रति**यं** संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने के लिए लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय को भेजी हैं। इसके अलावा, चंडीगढ़ प्रशासन ने दिनांक 09.08.1985, 04.12.1985 और 04.12.1987 के पत्र द्वारा वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत **किए** हैं। चंडीगढ़ प्रशासन के सभी संलग्नकों के साथ दिनांक 29.04.2021 के पत्र की एक प्रति भी संलग्न है।**#**

(गृह मंत्रालय का दिनांक 27 मई, 2021 का कार्यालय ज्ञापन संख्या यू-13034/91/2010-सीपीडी)

#प्रतिवेदन में संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

सिफारिश संख्या 17

समिति, सिटको (सीआईटीसीओ) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने में गृह मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों, और कार्यग्रहण करने के उपरांत के वर्षों का ही नहीं बल्कि सिटको का कार्यग्रहण करने से पूर्व के वर्षों के दीर्घ काल से लंबित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को भी सभा पटल पर रखने के लिए उनकी सराहना करती है ।

तथापि, समिति यह नोट करती है कि गृह मंत्रालय ने सिटको (सीआईटीसीओ) के वर्ष 2017-18 के आवश्यक दस्तावेजों को 01 वर्ष और 08 माह से अधिक के विलंब से 15.09.2020 को सभा पटल पर रख दिया था और यह सिटको (सीआईटीसीओ) के वर्ष 2018-19 के आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित समय यथा 31.12.2019 तक सभा पटल पर रखने में अब भी पिछड़ रहा है। समिति, मंत्रालय को निदेश देती है कि वह इन लंबित दस्तावेजों को यथाशीघ्र सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करे और भविष्य में ऐसे दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखना भी सुनिश्चित करे।

सरकार का उत्तर

इस मामले को अनुपालन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के साथ उठाया गया था। सिटको/चंडीगढ़ प्रशासन ने सूचित किया है कि सिटको के वित्त वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को जून, 2021 के प्रथम सप्ताह तक भेज दिया जाएगा।

(गृह मंत्रालय का दिनांक 27 मई, 2021 का कार्यालय ज्ञापन संख्या यू-13034/91/2010-सीपीडी)

सिफारिश संख्या 18

समिति यह भी नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा प्रतिवेदनों को सभा पटल पर नहीं रखने के कारण हुए विलंब के अलावा, सिटको (सीआईटीसीओ) ने विभिन्न चरणों जैसे लेखापरीक्षकों को लेखे प्रस्तुत करने, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने आदि में आवश्यक दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में भी अनुचित रूप से अधिक समय लिया था।

इसलिए, समिति, गृह मंत्रालय को निदेश देती है कि वह लेखापरीक्षकों की नियुक्ति से लेकर संसद के समक्ष इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने तक प्रत्येक चरण के लिए स्पष्ट लक्षित तिथियों को दर्शाते हुए एक समेकित समय सारणी तैयार करे। मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करे कि जो समय सारणी तैयार की जाएगी उसका सख्ती से अनुपालन हो ताकि भविष्य में ऐसे विलंबों से बचा जा सके।

सरकार का उत्तर

इस मानले को अनुपालन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के साथ उठाया गया था। लेखापरीक्षकों की नियुक्ति से लेकर संसद के समक्ष इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने तक, प्रत्येक चरण के लिए लक्षित तिथियों को स्पष्ट रूप से इंगित करती समेकित समय-सारणी निम्नवत हैः-

क्र.सं.	**विवरण**	**प्रारूप समय-सारणी**	**उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2021-22 हेतु**
1.	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति।	वित्त वर्ष की शुरुआत से 180 दिनों के भीतर	30.09.2021 तक
2.	संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद सिटको के वार्षिक लेखाओं के संकलन के लिए लिया गया समय और सिटको के	वित्त वर्ष की समाप्ति से 90 दिनों के भीतर	30.06.2022 तक

	निदेशक मंडल द्वारा इसका अनुमोदन।		
3.	लेखापरीक्षा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की तिथि।	सिटको के निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक लेखाओं के अनुमोदन से 1 दिन के भीतर	01.07.2022 तक
4.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सिटको के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा की अवधि।	सांविधिक लेखापरीक्षकों को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की तिथि से 02 दिन के भीतर	03.07.2022 तक
5.	लेखापरीक्षा के लिए सीएजी को सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि।	सिटको को सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 01 दिन के भीतर	04.07.2022 तक
6.	सीएजी द्वारा सिटको के सांविधिक लेखापरीक्षकों के वार्षिक लेखाओं और प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा की अवधि।	सीएजी को सिटको के सांविधिक लेखापरीक्षकों के वार्षिक लेखाओं और प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि से 45 दिनों के भीतर	19.08.2022 तक
7.	सिटको द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक और सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रश्नों/टिप्पणियों के प्रबंधन उत्तर तैयार करने की अवधि।	सीएजी की प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से 10 दिनों के भीतर	29.08.2022 तक
8.	वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं, सांविधिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, सीएजी के प्रतिवेदन, सांविधिक लेखापरीक्षक और सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रश्नों/टिप्पणियों के उत्तर के शेयरधारकों से अनुमोदन की अवधि।	सांविधिक लेखापरीक्षक और सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रश्नों/टिप्पणियों के प्रबंधन उत्तरों को अंतिम रूप देने की तिथि से 30 दिनों के भीतर	30.09.2022 तक

9.	संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने लिए वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे के अनुवाद (हिंदी में) और मुद्रण (हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में) की अवधि।	वार्षिक प्रतिवेदन के अनुमोदन से 40 दिन	10.11.2022 तक
10.	संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए सिटको द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन को वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे (हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में) प्रस्तुत करने की अवधि।	वार्षिक प्रतिवेदन के मुद्रण से 10 दिनों के भीतर	20.11.2022 तक
11.	संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे (हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में) प्रस्तुत करने की अवधि।	जैसे ही सिटको, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ से वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे प्राप्त होंगे उन्हें सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाएगा	30.11.2022 तक
12.	दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने की तिथि।	-----	31.12.2022 तक

(गृह मंत्रालय का दिनांक 27 मई, 2021 का कार्यालय ज्ञापन संख्या यू-13034/91/2010-सीपीडी)

<u>सिफारिश संख्या 19</u>

समिति मंत्रालय से यह नोट करने का भी आग्रह करती है कि अपरिहार्य कारणों से संगठन के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब की स्थिति में, आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित समयावधि के अंदर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाला एक विवरण अनिवार्य रूप से 30 दिनों के अंदर सभा पटल पर रखा जाए जैसाकि समिति द्वारा अपने पूर्व के प्रतिवेदनों में सिफारिश की गई थी।

सरकार का उत्तर

इस मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन को पहले ही निदेश दिया है कि अपरिहार्य कारणों से संगठन के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब की स्थिति में, आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित समयावधि के अंदर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाला एक विवरण 15 दिनों के भीतर गृह मंत्रालय को भेजा जाए ताकि समिति की उपरोक्त सिफारिश का आगे अनुपालन किया जा सके।

(गृह मंत्रालय का दिनांक 27 मई, 2021 का कार्यालय ज्ञापन संख्या यू-13034/91/2010-सीपीडी)

अनुबंध

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समति (2021-2022) की 06.12.2021 को हुई दूसरी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक, सोमवार, 06 दिसंबर, 2021 को 15:00 बजे से 16:30 बजे तक समिति कक्ष 'ग', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री रितेश पांडेय - सभापति

सदस्य

2. डॉ शफीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लव लोचन दास
5. चौधरी अली केसर महबूब
6. श्री टी.एन. प्रथापन
7. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
8. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री मुनीष कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक
3. श्रीमती मनजिंदर पब्बी - अवर सचिव

X X X X X

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

X X X X X

3. तत्पश्चात्, समिति ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित निम्नलिखित ग्यारह (11) प्रारूप प्रतिवेदनों को विचार करने के लिए लिया :-

(एक) **X** **X** **X** **X**;

(दो) **X** **X** **X** **X**;

(तीन) **X** **X** **X** **X**;

(चार) **X** **X** **X** **X**;

(पाँच) **X** **X** **X** **X**;

(छः) **X** **X** **X** **X**;

(सात) **X** **X** **X** **X**;

(आठ) **X** **X** **X** **X**;

(नौ) चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (सिटको) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब संबंधी अपने तैंतीसवें प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई;

(दस) **X** **X** **X** **X**; और

(ग्यारह) **X** **X** **X** **X**।

4. चर्चा करने के उपरांत, समिति ने बिना किसी संशोधन के सभी प्रारूप प्रतिवेदनों को स्वीकार किया।

5. समिति ने इन प्रतिवेदनों को संसद में प्रस्तुत करने हेतु माननीय सभापति को प्राधिकृत किया।

X **X** **X** **X** **X**

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।